

अन्वयान

बनाम

पोधित शी

प्रकरण संख्या

अन्तर्गत धारा

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
--------	-----------------------------------

10/11/22

Not Held
By

आज यह पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्राक शम / न्याय / 1533 / 2021 / विग / सीए / गंगानगर / निर्णय 33/09/22/9233 दिनांक 06/10/22 मय निर्णय की प्रति के साथ सलग्नक हस्तगत प्रकरण प्राप्त होने पर पेशी में लीगड। श्रीमान जी के निर्णय अनुसार प्रार्थी के द्वारा निगरानी प्राथना पत्र विडि करने पर खारिज कर दिया गया है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण को सूचित किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिस किया। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी दिनांक 01/11/2019 की अस्थायी विधेधारा भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से कम नम्बर शामिल वक्तु है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपोतम
करणपु

4.
5.

8

6
7